

अनुसूची

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015-16 संग्रहण काल में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू)

एवं गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम विक्रय हेतु लाट सूची

(अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2015-16/4 दिनांक 28.09.2015)

ई-नीलाम तिथि - दिनांक 23.10.2015 से 28.10.2015

जिला यूनियन/ वन मंडल का नाम	गोंद वर्ग एक की विक्रय इकाई क्रमांक व नाम	अधिसूचित मात्रा (क्विंटल में)	इकाई के कार्य क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
<b>गोंद वर्ग-1 (कुल्लू) (अधिसूचित मात्रा - प्रथम श्रेणी के समतुल्य)</b>			
प.भानुप्रतापपुर	1- प.भानुप्रतापपुर	30	संपूर्ण वनमंडल
नारायणपुर	2- नारायणपुर	80	संपूर्ण वनमंडल
सुकमा	3- सुकमा	100	संपूर्ण वनमंडल
दत्तेवाड़ा	5- दत्तेवाड़ा	100	संपूर्ण वनमंडल
<b>योग :-</b>		<b>310</b>	
<b>गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) (अधिसूचित मात्रा - धावड़ा गोंद के समतुल्य)</b>			
सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा	1- सरगुजा	10	संबंधित संपूर्ण वनमंडल (तमोर पिंगला एवं सेमरसोत अभ्यारण्य छोड़कर)
कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़	2- कोरिया	10	संपूर्ण वनमंडल (गुरुधारीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र छोड़कर )
रायगढ़	3- रायगढ़	50	संपूर्ण वनमंडल
धरमजयगढ़	4- धरमजयगढ़	10	संपूर्ण वनमंडल
मरवाही	5- पेन्ड्रा	10	संपूर्ण वनमंडल (अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
धमतरी	6- धमतरी	10	संपूर्ण वनमंडल (सीतानदी अभ्यारण्य एवं उदन्ती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
महासमुंद	7- महासमुंद	50	संपूर्ण वनमंडल
बलौदा बाजार	8- बलौदा बाजार	50	संपूर्ण वनमंडल (बारनवापारा अभ्यारण्य छोड़कर)
गरियाबंद	9- पूर्व रायपुर	10	संपूर्ण वनमंडल
गरियाबंद	10- उदन्ती	5	संपूर्ण वनमंडल (उदन्ती अभ्यारण्य एवं उदन्ती टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
बालोद	11- बालोद	100	संपूर्ण वनमंडल
कवर्धा	12- कवर्धा	10	संपूर्ण वनमंडल (भोरमदेव अभ्यारण्य छोड़कर)
खैरागढ़	13- खैरागढ़	25	संपूर्ण वनमंडल
राजनांदगांव	14- राजनांदगांव	150	संपूर्ण वनमंडल
प.भानुप्रतापपुर	15- प.भानुप्रतापपुर	100	संपूर्ण वनमंडल
नारायणपुर	16- नारायणपुर	60	संपूर्ण वनमंडल
सुकमा	19- सुकमा	100	संपूर्ण वनमंडल
बिलासपुर	20- बिलासपुर	50	संपूर्ण वनमंडल (अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
जांजगीर-चांपा	21- जांजगीर-चांपा	50	संपूर्ण वनमंडल
<b>योग :-</b>		<b>860</b>	

**टिप :-** किसी भी इकाई के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य में तथा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में गोंद संग्रहण प्रतिबंधित है ।